न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री सत्तार खान, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :-48/2018/भीलवाड़ा(2018/00048)

1. प्रकाश पुत्र हस्तीमल महाजन, जाति महाजन, निवासी सोनियाणा, निवासी सोनियाणा, तह0 सहाडा जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट

बनाम

1. शोभालाल पुत्र उगम लाल महाजन, निवासी सोनियाणा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
2. प्यारागिरी पुत्र छोगागिरी गोस्वामी
3. गणेश पुत्र ओमप्रकाश शर्मा

दोनों निवासी सोनियाणा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियमविरुद्ध निर्णय विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर जिला भीलवाड़ा दिनांक 11.09.2017 प्रकरण संख्या 85/2017 .

उपस्थितः-

1. श्री ईश्वर देवडा, वकील अपीलांटस ।
2. रेस्पोडेंट सं0 1 से 3 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :- 17.12.2019

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

अपीलांटस ने यह अपील सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर जिला भीलवाडा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.09.2017 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो सं0 1 (शोभालाल) ने सहायक लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर, गंगापुर में दिनांक 12.07.2017 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0 एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सोनियाणा तहसील सहाडा के बेरून हल आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी सं0 2888 रकबा 0.

Scanned by CamScanner

13 है0 किस्म चाही III, आराजी सं0 4646/2890 रकवा 0.03 है0 किस्म चाही III अन्य आराजीयात के साथा खाता सं0 573 पर स्थित है। उक्त आराजी के चारों तरफ सीमा के कोई निशानात नहीं होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने, मवेशी वगै0 चराने में दरमियान पक्षकारान आपस में बराबर सीमा संबंधी विवाद बना रहता है। जिससे प्रार्थी को अपनी उक्त आराजी की पत्थरगढी कराना आवश्यक है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्तमान अपीलांट एवं रेस्पो0सं0 2 व 3 को भी पक्षकार बनाया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर अधी0न्याया0 (सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर जिला भीलवाडा) ने प्रा0पत्र में अंकित प्रार्थी के आराजी भूमि के कब्जे को यथावत रखते हुए पक्षकारान के पत्थरगढी किये जाने के आदेश पारित किये। इसलिए अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 (सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर जिला भीलवाडा) के आदेश दिनांक 11.09.2017 से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। xx

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट के अनुपस्थित रहने तथा अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स की एक पक्षीय बहस सुनी गई । xx

3- विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट अधी0न्याया0 के निर्णय दिनांक 11.09.2017 को जानकारी नहीं थी तथा दिनांक 20.05.2018 को पटवारी हल्का मौके पर आकर प्रार्थी को प्रश्नगत भूमि की पत्थरगढी आगामी दिनांक में करने हेतु सूचित करने पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 21.05.2018 को निर्णय नकल आवेदन करने पर दिनांक 22.05.2018 को निर्णय नकल प्राप्त हुई। तदउपरांत प्रार्थीगण नकल लेकन अभिभाषक से मिलने पर उक्त आदेश के विरूद्ध अति0 संभागीय आयुक्त, अजमेर में कार्यवाही करने के निर्देश पर यहां अभि0 से मिलकर दिनांक 02.06.2018 को अविलम्ब अपील तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे । xx

4- अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 (सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर जिला भीलवाडा) द्वारा आदेश दिनांक 11.09.2017 नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त के प्रावधित प्रावधानों को पूर्णतया दरमिनार करते हुए निर्णय पारित किया है, वह विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधि0न्याया0 ने रेस्पो0सं0 1 का प्रार्थना पत्र दिनांक 17.07.2017 को दर्ज रजिस्टर कर अपीलांट सं0 1 व शेष रेस्पा0 को पेशी दिनांक 28.08.2017 को जरिये सम्मन तलब किया व दिनांक 28.08.2017 को पीठासीन अधिकारी अन्यत्र व्यस्त होने के कारण प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 11.09.2017 नियम की गई। दिनांक 11.09.2017 को अधी0न्याया0 द्वारा नोटिस की पालना में अपीलांट व

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned by CamScanner

शेष रेस्पो0 उपस्थित नहीं होना बताते हुए, एक तरफा कार्यवाही कर नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का हवाला देते हुए रेस्पो0सं 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी कराये जाने का आदेश पारित कर दिया। बहस जारी रखते हुए अपीलांट अभि0 ने निवेदन किया अधी0न्याया0 ने इस बिन्दु को भी नजरअन्दाज कर दिया कि प्रकरण दर्ज दिनांक से प्रकरण निर्णय दिनांक तक पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, जिससे अपीलांट को नोटिस तलबी होना साबित होता हो। अधी0नयाया0 द्वारा अपीलांट को प्रकरण में ना तो सम्मन तामिल कराये गये एव ंना ही उन्हें सुनवाई किये जाने का का अवसर प्रदान किया। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तानुसार बिना दूसरे पक्ष को सुने उसके विरूद्ध निर्णय/आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

5- विद्वान वकील अपीलांटस ने अपनी बहस में आगे कथन किया कि अधि0न्याया0 ने प्रार्थी (शोभालाल) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से स्पष्ट है कि मौके पर मुश्तकिल निशान नहीं होने से सीमा विवाद है। अधी0न्याया ने धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम में प्रावधित प्रावधानों को नजरअन्दाज कर बिना सर्वेक्षण नक्शों को ध्यान में रखे एवं वास्तविक कब्जा बाबत बिना कोई जांच कराये सरसरी तोर पर ही प्रश्नगत आराजीयात की पत्थरगढी कराये जाने संबंधी जो आदेश पारित किये है, वह विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। प्रार्थी (शोभालाल) द्वारा जिस भूमि बाबत सीमाज्ञान कराना चाहा है, उक्त भूमि पर अपीलांट का निरंतर निर्बाध कब्जा काश्त है। केवल मात्र दौराने सेटलमेन्ट नक्शे में इन्द्राज का लाभ उठाते हुए व पत्थरगढी के माध्यम से अपीलांट का अनाधिकृत कब्जा सिद्ध करना चाहता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 11.09.2017 को अपास्त किया जावे । xx

6- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांटस की बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 को निर्णित करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है । xx

7- प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया एवं अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। अपीलांटस का मुख्य कथन यह है कि अधी0नयाया0 द्वारा अपीलांट को प्रकरण में ना तो सम्मन तामिल कराये गये एव ंना ही उन्हें सुनवाई किये जाने का का अवसर प्रदान किया। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तानुसार बिना दूसरे पक्ष को सुने उसके विरूद्ध निर्णय/आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अधी0न्याया0 की पत्रावली में उपलब्ध अपीलांट के नोटिस पर स्वयं अपीलांट (प्रकाश) के हस्ताक्षर नहीं होकर नेमीचन्द के हस्ताक्षर है। अधी0न्याया0 का यह दायित्व था कि निर्णय पारित करने से पूर्व सभी पडौसी खातेदारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned by CamScanner

किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना की जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

8- अतः उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य एवं अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 11.09.2017 अपास्त योग्य होकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 48/2018 (2018/00048) बउनवानी प्रकाश बनाम शोभालाल व अन्य को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर जिला भीलवाडा द्वारा अपील संख्या 85/2017 बउनवान शोभालाल बनाम प्रकाश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.09.2017 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में अपीलांट एवं अन्य आवश्यक पडौसी खातेदारों को पक्षकार को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को पुनः गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 17.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.01.16 11:29:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: